

राजस्थान सरकार



सत्यमेव जयते

निष्पादन आय-व्ययक अनुमान

1989-90

समाज कल्याण विभाग,
राजस्थान, जयपुर

-544

352.1252

RAJ-N

आमुख

राजस्थान की जनसंख्या का 29 प्रतिशत भाग अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों का है, जो कि सदैव से ही आर्थिक एवं सामाजिक शोषण का शिकार रही है। समाज कल्याण विभाग की स्थापना पिछड़ी जातियों के कल्याण कार्यक्रम संचालित करने हेतु की गई थी। वर्तमान में यह विभाग इन जातियों के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संचालित करने के साथ-साथ अन्य समाज कल्याण कार्य के क्षेत्र में भी कार्यरत है। विभाग द्वारा संचालित मुख्य गतिविधियाँ निम्न प्रकार हैं :—

1. पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जातियों के वर्गों के लिए निःशुल्क छात्रावास सुविधायें, छात्रवृत्तियाँ, आश्रम स्कूल, स्नातक एवं स्नातकोत्तरों को बेरोजगार भत्ता, परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र, बुक बैंक योजना, भवन निर्माण, खनन पट्टे हेतु अनुदान, कृषि ऋण के ब्याज पुनर्भरण, विशेष अनुसूचित जाति संगठन योजना, राजस्थान राज्य सहकारी विकास निगम, अत्याचार एवं उत्पीड़न के शिकार व्यक्तियों को आर्थिक सहायता, अन्तर्जातीय विवाह हेतु सवर्णों को प्रोत्साहन इत्यादि कार्यक्रम संचालित किये जाते हैं।
2. समाज कल्याण कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभाग द्वारा विकलांग कल्याण, महिला कल्याण, बाल कल्याण, वृद्ध एवं अशक्त सेवा, परिधीक्षा एवं बन्दी कल्याण, भिक्षावृत्ति उन्मूलन, वृद्ध एवं अशक्तों को पेंशन, अफीम उन्मूलन कार्यक्रम आदि सामाजिक कुरीतियों एवं शोषण को समाप्त करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को संचालित किया जा रहा है।

विभाग द्वारा तैयार किये गये निष्पादन आय-व्ययक अनुमान वर्ष 1989-90 में वर्ष 1987-88 के लेखे, वर्ष 1988-89 के आय-व्ययक अनुमान एवं संशोधित अनुमान तथा प्रस्तावित आय-व्ययक अनुमान 1989-90 दर्शाये गये हैं। साथ ही विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत संचालित गतिविधियों में वर्ष 1987-88 एवं 1988-89 में प्राप्त की गई भौतिक उपलब्धियाँ तथा वर्ष 1989-90 के लक्ष्यों का विवरण भी दिया गया है। मुझे आशा है कि उक्त विवरण तुलनात्मक अध्ययन करने में उपयोगी सिद्ध होगा।

सुधीर वर्मा

सचिव

समाज कल्याण विभाग,

राजस्थान, जयपुर

NIEPA DC



D05417

Sect. National Systems Unit
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-A, Sector 4, Connaught Place, New Delhi-110016
Doc. No. D-5417
Date 13.9.90

वित्तीय आवश्यकतायें

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लेखे 1987-88			आय व्ययक अनुमान 88-89			सशोधित अनुमान 88-89			आय-व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भित्त	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भित्त	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भित्त	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भित्त	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2225-अनु. जातियों, अनु. जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण														
मांग संख्या-33														
1.	01-अनु० जातियों का कल्याण	737.10	66.49	994.62	853.61	97.31	990.85	838.58	91.05	995.43	857.17	107.91	997.40	1962.48
2.	02-अनु० जनजातियों का कल्याण	445.60	33.64	6.24	524.54	45.92	22.98	528.28	38.31	22.98	531.32	44.30	22.98	598.60
3.	03-पिछड़ी जातियों का कल्याण	39.83	10.86	—	45.08	10.05	—	48.07	9.79	—	49.43	10.39	—	59.82
योग मांग संख्या 33		1222.53	110.99	1000.86	1423.23	153.28	1013.83	1414.93	139.15	1018.41	1437.92	162.60	1020.38	2620.90
मांग संख्या-30														
796-जनजाति क्षेत्र उप योजना														
1.	01-अनु० जातियों का कल्याण	1.33	0.20	—	1.15	0.70	—	1.10	0.70	—	1.10	0.70	—	1.80
2.	02-अनु० जन जातियों का कल्याण	9.54	—	31.91	13.26	19.30	4.00	13.26	17.54	4.00	13.31	28.90	46.70	88.91
योग मांग संख्या 30		10.87	0.20	31.91	14.41	20.00	4.00	14.36	18.24	4.00	14.41	29.60	46.70	90.71
योग 2225		1233.40	111.19	1032.77	1437.64	173.28	1017.83	1429.29	157.39	1022.41	1452.33	192.20	1067.08	2711.61
2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण														
मांग संख्या 31														
01-पुनर्वास														
800-अन्य व्यय														
(1)	भोजन वस्त्र आदि													
	समाज कल्याण विभाग के माध्यम से	0.07	—	—	0.10	—	—	0.10	—	—	0.10	—	—	0.10

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लक्ष 1987-88			आय-व्यय अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय-व्यय अनुमान 89-90			योग
		आयोजना	आयोजना	केन्द्रीय	आयोजना	आयोजना	केन्द्रीय	आयोजना	आयोजना	केन्द्रीय	आयोजना	आयोजना	केन्द्रीय	
		भिन्न	व्यय	प्र. यो.	भिन्न	व्यय	प्र. यो.	भिन्न	व्यय	प्र. यो.	भिन्न	व्यय	प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
मांग संख्या 33														
02-समाज कल्याण														
1.	001-निदेशन और प्रशासन	7.11	2.68	—	5.80	2.83	—	5.87	2.73	—	7.17	3.73	—	10.90
2.	101-विकलांगों का कल्याण	75.82	17.80	24.73	90.91	17.35	—	89.10	17.92	—	101.57	25.25	44.60	171.42
3.	102-बाल कल्याण	82.76	8.37	4.46	101.35	20.92	42.60	89.10	16.00	42.60	60.23	27.44	11.91	99.58
4.	103-महिला कल्याण	12.43	5.93	2.34	13.35	6.52	2.25	13.25	6.74	2.25	15.18	7.27	2.25	24.70
5.	104-वृद्ध एवं असक्षम और निराश्रितों का कल्याण	11.35	—	—	12.57	0.20	—	11.56	0.20	—	14.93	0.20	—	15.13
6.	800-अन्य व्यय	18.29	2.48	—	18.00	4.68	—	18.01	3.95	—	19.81	5.61	—	25.42
7.	60-अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम													
	102-सामाजिक सुरक्षा योजना के अन्तर्गत पेंशन	520.82	—	—	568.00	—	—	655.00	—	—	795.00	—	—	795.00
8.	200-अन्य व्यय													
	(III) भू-पू. सैनिकों के लिए स्वरोजगार	—	—	—	—	5.00	—	—	5.00	—	—	7.00	—	7.00
	योग मांग संख्या 33	728.58	37.26	31.53	809.98	57.50	56.05	893.37	52.54	56.05	1013.89	76.50	58.76	1149.15
मांग संख्या 30														
	796-जनजाति क्षेत्र उपयोगना	—	1.15	0.62	—	3.00	1.00	—	3.00	1.00	—	3.00	1.00	4.00
	योग 2235	728.65	38.41	32.15	810.08	60.50	57.05	893.47	55.54	57.05	1013.99	79.50	59.76	1153.25
2705-कमाण्ड क्षेत्र का विकास														
मांग संख्या 22														
	101-इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास													
	(IX) समाज कल्याण विभाग के अभिकरण से	6.81	3.00	—	8.58	5.40	—	6.67	5.09	—	6.94	5.80	—	12.74

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लखे 1987-88			आय व्ययक अनुमान 88-89			संगोचित अनुमान 88-89			आय-व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4225	अनु० जातियों, अनु. जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों पर पूंजीगत परिव्यय													
	मांग संख्या 36													
01	अनु० जातियों का कल्याण													
	90-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों, नियोजन													
	(1) राज० अनु० जाति विकास सहकारी निगम में नियोजन	—	10.00	9.61	—	10.00	9.61	—	10.00	9.61	—	10.00	9.61	19.61
	मांग संख्या 19													
	80-सामान्य													
	800-अन्य व्यय													
	(1) भवन	—	16.89	—	—	3.00	—	—	4.20	—	—	2.00	—	2.00
2059	लोक निर्माण													
	102-अनुरक्षण और मरम्मत													
	(VII) निदेशक समाज कल्याण विभाग के माध्यम से	0.75	—	—	5.70	—	—	5.70	—	—	3.50	—	—	3.50
	योग मांग संख्या 19	0.75	16.89	—	5.70	3.00	—	5.70	4.20	—	3.50	2.00	—	5.50
4235	सामाजिक सुरक्षा एवं पूंजीगत परिव्यय													
	02-समाज कल्याण													
	102-बाल कल्याण	—	—	—	—	5.82	—	—	5.78	6.25	—	0.50	—	0.50
	103-महिला कल्याण	—	9.81	—	—	2.00	—	—	2.00	—	—	—	—	—
	योग मांग संख्या 19, 22, 30, 31, 33, 36													
	कुल योग (लेखा मद) 2225, 2235, 4225 4235, 2705, 2059	1969.61	189.30	1074.53	2262.00	260.00	1084.49	2335.13	240.00	1095.32	2476.76	290.00	1136.45	3903.21

लेखा शीर्षकानुसार

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.स.	लेखा शीपक	लख 1987-88			आय व्ययक अनुमान 88-89			सशोधित अनुमान 88-89			आय व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना भिन्न	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	संवैतन	178.49	17.14	0.05	218.04	35.44	1.24	201.49	25.27	0.65	236.00	45.28	1.76	283.04
2.	यात्रा व्यय	6.37	1.30	0.03	5.92	1.77	0.07	5.81	1.75	0.04	6.21	2.34	0.08	8.63
3.	चिकित्सा व्यय	6.04	0.84	0.01	3.59	1.46	0.07	4.34	0.93	0.05	4.33	1.94	0.08	6.35
4.	कार्यालय व्यय	9.34	2.53	0.06	11.24	13.75	1.20	11.03	18.33	1.29	10.46	7.46	0.32	18.24
5.	किराया, रेंट, कर/रायल्टी	14.86	4.67	—	15.03	5.50	—	17.25	5.42	—	15.80	12.80	—	28.60
6.	विज्ञापन, विक्रय और प्रचार	—	0.59	—	—	1.10	—	—	0.85	—	—	1.10	—	1.10
7.	भोजन वस्त्र आदि	156.36	18.08	0.40	176.95	31.71	2.71	174.41	19.33	1.84	173.65	34.88	3.20	211.73
8.	सहायता अनुदान	119.11	18.81	7.42	139.46	26.92	26.77	129.28	27.49	26.77	98.68	41.87	29.88	170.43
9.	छात्रवृत्ति और बजीफा	904.12	61.72	34.67	1061.65	70.55	83.00	1072.25	69.73	83.00	1077.90	70.75	83.00	1231.65
10.	सामग्री और प्रदाय	—	—	—	0.02	—	—	0.11	—	—	0.11	—	—	0.11
11.	भवनों का सधारण	0.75	26.70	—	6.60	10.82	—	6.60	12.02	6.25	3.50	2.50	—	6.00
12.	छात्रावासों के छात्रावासों हेतु भवन निर्माण	—	1.78	8.32	—	7.90	4.00	—	7.90	10.00	—	19.20	19.20	38.40
13.	अनु० जाति सहकारी विकास निगम में विनियोजन	—	10.00	9.61	—	10.00	9.61	—	10.00	9.61	—	10.00	9.61	19.61
14.	बुक बैंक	—	0.50	1.50	—	0.50	0.50	—	0.50	0.50	—	0.50	0.50	1.00
15.	कृषकों को ऋण के व्याज के भुगतान हेतु	1.32	—	—	2.35	—	—	2.00	—	—	1.65	—	—	1.65
16.	गृह निर्माण अनुदान	—	2.80	—	—	3.00	—	—	3.00	—	—	3.00	—	3.00
17.	मोटर गाड़ियों का क्रय	—	3.56	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
18.	कार्यालय वाहनों का सधारण	2.93	0.48	—	1.52	0.40	—	1.57	0.50	—	1.57	0.55	—	2.12
19.	आवास हेतु दिये गये ऋणों के व्याजको प्रतिपूर्ति	30.10	—	—	28.00	—	—	28.00	—	—	26.00	—	—	26.00
20.	खनन पट्टे क्रय हेतु अनुदान	—	—	—	—	1.00	—	—	1.00	—	—	1.00	—	1.00
21.	नागरिक अधिकारों की सुरक्षा	2.88	3.00	—	2.23	3.00	—	2.23	3.00	—	2.23	4.00	—	6.23
22.	अनु० जाति उप परियोजना	—	—	986.96	—	—	952.34	—	—	952.34	—	—	952.34	952.34
23.	वृद्धावस्था एवं अपंग पेन्शन	520.82	—	—	568.00	—	—	655.00	—	—	795.00	—	—	795.00
24.	पूर्व प्रशिक्षण एवं स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण	0.11	0.71	0.72	1.61	2.98	2.98	1.61	2.98	2.98	1.61	2.98	2.98	7.57
25.	आश्रम रकूल	6.93	—	—	7.36	—	—	8.66	—	—	8.21	—	—	8.21
26.	छात्रावासों का सधारण (टी ए डी)	4.90	—	24.78	5.50	7.25	—	5.60	5.49	—	5.70	7.60	33.50	46.80
27.	प्रारंभिक विद्यार्थियों को प्रोत्साहन	0.54	10.47	—	—	12.52	—	—	12.13	—	—	12.52	—	12.52
28.	शिशु पाठशालाओं का संचालन	3.49	—	—	4.00	—	—	4.34	—	—	4.50	—	—	4.50
29.	विविध	0.15	3.62	—	2.93	12.43	—	3.55	12.38	—	3.65	7.73	—	11.38
योग		1969.61	189.30	1074.53	2262.00	260.00	1084.49	2335.13	240.00	1095.32	2476.76	290.00	1136.45	3903.21

योजनानुसार विश्लेषण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.स.	लेखा शीर्षक	लेखे 1987-88			आय व्ययक अनुमान 88-89			समाधत अनुमान 88-89			आय व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना भिन्न	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	2225-अनु० जातियों जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण													
	01-अनु० जातियों का कल्याण													
	001. निर्देशन एवं प्रशासन	73.84	10.46	—	83.99	9.46	—	81.06	10.22	—	94.06	11.04	—	105.10
	277-शिक्षा													
	2. छात्रवृत्तियां	490.72	30.08	4.42	570.09	30.55	25.00	569.09	29.73	25.00	571.74	30.55	25.00	627.29
	3. छात्रावासों का संधारण	112.03	9.97	—	135.76	26.19	—	127.05	21.53	—	131.93	30.42	—	162.35
	4. छात्रागों के छात्रावासों के भवन निर्माण हेतु	—	1.78	1.19	—	3.90	—	—	3.90	6.00	—	6.00	6.00	12.00
	5. बुक बैंक	—	0.50	1.50	—	0.50	0.50	—	0.50	0.50	—	0.50	0.50	1.00
	6. प्रा. विद्यार्थियों को प्रोत्साहन	—	6.62	—	—	7.47	—	—	7.49	—	—	7.47	—	7.47
	7. अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति- कम-छात्रावास	23.06	1.89	0.55	26.77	6.07	5.29	27.08	4.51	3.87	27.44	7.36	5.44	40.24
	283-गृह निर्माण													
	8. आवास हेतु दिये गये ऋणों की प्रतिपूर्ति	30.10	—	—	28.00	—	—	28.00	—	—	26.00	—	—	26.00
	9. गृह निर्माण हेतु अनुदान	—	1.80	—	—	1.80	—	—	1.80	—	—	1.80	—	1.80
	287-रोजगार													
	10. बेरोजगार स्नातकों एवं स्नातकोत्तर को छात्रवृत्ति	—	0.39	—	—	0.45	—	—	0.45	—	—	0.45	—	0.45
	305-कृषि													
	11. कृषकों को ऋण के व्याज के मुगतान हेतु	0.84	—	—	1.50	—	—	1.30	—	—	1.00	—	—	1.00

योजनानुसार विश्लेषण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लेखे 1987-88			आय व्ययक अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय-व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	मांग संख्या-33													
	800-अन्य व्यय													
	12. स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता	3.63	—	—	6.00	—	—	3.50	—	—	3.50	—	—	3.50
	13. अन्तर्जातीय विवाह हेतु सवणों को प्रोत्साहन	—	—	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	0.20
	14. ना. अधिकारी की सुरक्षा हेतु सहायता	2.88	3.00	—	1.50	3.00	—	1.50	3.00	—	1.50	4.00	—	5.50
	15. राज० अनु० जाति विकास निगम को मैचिंग सहायता	—	—	—	—	7.72	7.72	—	7.72	7.72	—	8.12	8.12	16.24
	103-अनु० जाति संगठन योजना हेतु विशेष सहायता													
	16. अनु० जाति उपयोजना	—	—	986.96	—	—	952.34	—	—	952.34	—	—	952.34	952.34
	योग	737.10	66.49	994.62	853.61	97.31	990.85	838.58	91.05	995.43	857.17	107.91	997.40	1962.48

योजनानुसार विश्लेषण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लेखे 1987-88			आय व्ययक अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय-व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	

2225-अनुसूचित जातियों, जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

01-अनु. जातियों का कल्याण	73.84	10.46	—	83.99	9.46	—	81.06	10.22	—	94.06	11.04	—	105.10
001-निदेशन और प्रशासन													

विभाग के विभिन्न गतिविधियों को सम्पूर्ण राजस्थान में समुचित रूप से क्रियान्वयन की दृष्टि से निदेशक व पर्यवेक्षण स्वरूप एक निदेशालय की जयपुर मुख्यालय पर स्थापना के साथ तीन संयुक्त निदेशक कार्यालय, जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर में व '6' सहायक निदेशक के कार्यालय (जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, जोधपुर, व बीकानेर) में स्थापित हैं। शेष 21 जिलों में जिला परिबीक्ष एवं समाज कल्याण अधिकारी के कार्यालय आवश्यक स्टाफ सहित कार्यरत है। इस मद में उक्त कार्यालय के अधिकारियों कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं कार्यालय संचालन संबंधी व्यय का प्रावधान किया जाता है।

2225/01-अनु. जातियों का कल्याण
277-शिक्षा

(2) छात्रवृत्ति एवं वजीफा	490.72	30.08	4.42	570.09	30.55	25.00	569.09	29.73	25.00	571.74	30.55	25.00	627.29
---------------------------	--------	-------	------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------	-------	-------	--------

शिक्षा, छात्रवृत्ति एवं वजीफा—अनुसूचित जातियों के छात्रों के शैक्षिक विकास हेतु कक्षा 6 से 8 तक रु. 15/- छात्रों हेतु रु. 20/- छात्राओं हेतु प्रतिमाह तथा कक्षा 9 से 11 तक छात्र एवं छात्राओं हेतु क्रमशः 30 व 40 रु प्रतिमाह। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति स्वीकृत की जाती है महाविद्यालय स्तर पर अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को क्रमशः रु. 80/- से 200/- प्रतिमाह प्रति छात्र कोर्स एवं स्कीम के अनुसार उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति उपलब्ध करायी जाती है। लाभान्वितों की सूचना निम्न प्रकार है—

योजना	1987-88	1988-89	1989-90 (लक्ष्य)
पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	259430	274537	299312
उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति	13696	14189	16441

पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण शिक्षा विभाग के विद्यालय निरीक्षकों, तथा सँकेण्डरी एवं हायर सँकेण्डरी स्कूलों के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से किया जाता है। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति का शत प्रतिशत व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के कुल व्यय से 247.00 लाख रु तक का व्यय राज्य सरकार द्वारा तथा इसके अधिक व्यय की राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति का लाभ वर्ष 1988-89 से उन्हीं छात्र छात्राओं को दिया जाता है जिनके माता-पिता आय कर नहीं देते हैं।

2225-अनु. जातियों का कल्याण
277-शिक्षा

(3) छात्रावासों का संधारण	112.03	9.97	—	135.76	26.19	—	127.05	21.53	—	131.93	30.42	—	162.35
---------------------------	--------	------	---	--------	-------	---	--------	-------	---	--------	-------	---	--------

छात्रावासों का संधारण—अनुसूचित जातियों के छात्रों के सर्वांगीण विकास हेतु विभाग इस योजना में छात्रावासों का संचालन करता है। प्रत्येक छात्रावास में एक मिस कमेटी गठित होती है, जो कि छात्रावास की गतिविधियों को सुचारू रूप से चालाने

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लेखे 1987-88			आय व्ययक अनुमान 88-89			संगोधित अनुमान 88-89			आय-व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	1	13	14	15	

हेतु उत्तरदायी होती है। विभाग निशुल्क भोजन, वस्त्र, आवास, एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध कराने हेतु कक्षा 6 से 8 तक रुपये 140/- प्रति छात्र प्रतिमाह तथा कक्षा 9 से 12 तक रु. 145/- प्रतिमाह प्रति छात्र राशि उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त फीस इत्यादि हेतु कक्षा 6 से 8 तक रुपये 40.00 तथा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों हेतु रुपये 60/- प्रति छात्र एक मुश्त राशि उपलब्ध करायी जाती है। इससे छात्रों के जीवनयापन की दशा में गृणात्मक वृद्धि होती है।

प्रवृत्ति का नाम	वर्ष 1987-88		वर्ष 1988-89		1989-90 (लक्ष्य)	
	संस्थाओं की संख्या	लाभान्वितों की संख्या	संस्थाओं की संख्या	लाभान्वितों की संख्या	संस्थाओं की संख्या	लाभान्वितों की संख्या
राजकीय छात्रावास	103	4597	120	5047	133	5407
अनुदानित छात्रावास	56	1855	54	1780	54	1780

वर्ष 1988-89 में 17 नये राजकीय छात्रावासों को खोलने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी, जिनमें नवीन सत्र चालू होने पर प्रवेश प्रारम्भ किये जावेंगे। चालू सत्र में 2 अनुदानित छात्रावासों को राजकीय छात्रावासों में परिवर्तन करने के कारण संख्या कम हो गई है। आगामी वर्ष में 12 नवीन छात्रावास खोले जाने के प्रस्ताव हैं ताकि अधिकाधिक छात्रों को लाभान्वित किया जा सके। छात्रों के सर्वांगीण विकास को दृष्टिगत रखते हुए चालू वर्ष से छात्रों को खेलकूद एवं अन्य प्रतियोगिताओं के आयोजन भी किये हैं, ताकि बालकों में व्याप्त हीन भावना समाप्त होकर अग्रणी होने के अवसर प्राप्त हो सके।

2225/01-अनुसूचित जातियों का कल्याण
277-शिक्षा

(4) छात्राओं के छात्रावास भवन के निर्माण हेतु — 1.78 1.19 — 3.90 — 3.90 6.00 — 6.00 6.00 12.00

छात्राओं के छात्रावास भवन का निर्माण—अनुसूचित जाति जनजाति के समाज में बालिकाओं की शिक्षा के पिछड़ेपन को ध्यान में रखकर छात्राओं के निवास की सुगम व्यवस्था के लिए छात्रावासों के भवन निर्माण कार्य पूर्ण कराने के लक्ष्य से उक्त मद में प्रावधान किया गया है।

2225/01-अनु. जातियों का कल्याण
277-शिक्षा

(5) बुक बैंक — 0.50 1.50 — 0.50 0.50 — 0.50 0.50 — 0.50 0.50 1.00

बुक बैंक योजना—राज्य के मेडिकल एवं इंजीनियरिंग कालेजों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए कालेजों की पुस्तकालय में बुक बैंक योजनांतर्गत पाठ्य पुस्तकें क्रय करने हेतु धनराशि उपलब्ध करायी जाती है ताकि इन छात्रों को पुस्तकें उपलब्ध हो सके। यह कार्यक्रम राज्य में दस मेडिकल कालेज तथा इंजीनियरिंग कालेजों में चलाया जा रहा है।

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लेख 1987-88			आय व्ययक अनुमान 88-89			सशोधत अनुमान 88-89			आय व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2225/01-अनु. जातियों का कल्याण

277-शिक्षा

(6) प्रारम्भिक विद्यार्थियों को प्रोत्साहन — 6.62 — — 7.47 — — 7.49 — — 7.47 — — 7.47 — — 7.47

प्रारम्भिक विद्यार्थियों को प्रोत्साहन—अनुसूचित जाति के परिवारों की बालिकाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्हें पुस्तकें प्रदान करने के लक्ष्य से उक्त योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना का लाभ देने की दृष्टि से विकास विभाग (पंचायत समितियों) के माध्यम से बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित किया जाता है।

2225/01 अनुसूचित जातियों का कल्याण

277-शिक्षा

(7) अस्वच्छ कार्य करने वाले परिवारों के बच्चों को पूर्व मैट्रिक छात्रावास 23.06 1.89 0.55 26.77 6.07 5.29 27.08 4.51 3.87 27.44 7.36 5.44 40.24

हरिजन छात्रावास :—अस्वच्छ कार्य में लगे परिवारों के बालक-बालिकाओं को शिक्षा के लिए प्रेरित करने हेतु तथा उनके मनोबल को प्रगाढ़ करने के उद्देश्य से हरिजन छात्रावासों की स्थापना केन्द्रीय सहायता से राज्य में प्रारम्भ की गयी है। वर्ष 87-88 में ऐसे छात्रावासों में 1200 बालक-बालिकाओं को लाभान्वित किया गया। चालू वर्ष 88-89 में 8 और छात्रावास खोलने की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गयी।

	87-88	88-89	89-90 (लक्ष्य)
छात्रावास संख्या	48	56	56
लाभान्वित छात्र	1200	1400	1400

2225/01 अनुसूचित जातियों का कल्याण

283-गृह निर्माण

(8) आवास हेतु दिये गये ऋणों की प्रतिपूर्ति 30.10 — — 28.00 — — 28.00 — — 26.00 — — 26.00

इस योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य सहकारी गृह निर्माण समिति द्वारा अनुसूचित जातियों की गृह निर्माण सहकारी समितियों को स्वीकृत किये गये ऋण पर देय ब्याज का पुनर्भरण विभाग द्वारा किया जाता है। वर्ष 1987-88 में 12119, 1988-89 में 12119 सदस्यों को लाभान्वित किया गया है तथा वर्ष 1989-90 में 12119 सदस्यों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

2225/01 अनुसूचित जातियों का कल्याण

283-गृह निर्माण

(9) गृह निर्माण अनुदान — 1.80 — — 1.80 — — 1.80 — — 1.80 — — 1.80

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लक्ष 1987-88			आय-व्ययक अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय-व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

गृह निर्माण अनुदान :— अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को उनके द्वारा किसी तृतीय संस्था से रुपये 10,000/- तक की लागत के भवन हेतु ऋण लेने पर राशि का 20% या 750/- रुपये जो भी कम हो तथा आवासन मण्डल से मकान क्रय करने पर मकान की लागत का 20% या 750/- जो भी कम हो अनुदान स्वरूप दिया जाता है।

वर्ष 1987—88		वर्ष 1988—89		वर्ष 1989—90	
संस्थाओं की सं.	लाभान्वित की सं.	संस्थाओं की सं.	लाभान्वितों की सं.	संस्थाओं की सं.	लाभान्वितों की सं.
27	281	27	160 (अनुमानित)	27	240

2225/01 अनुसूचित जातियों का कल्याण
287-रोजगार

(10) बेरोजगार स्नातक/स्नातकोत्तरों को छात्रवृत्ति — 0.39 — — 0.45 — — 0.45 — — 0.45 — 0.45

प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण बेरोजगार स्नातक एवं स्नातकोत्तर को क्रमशः रुपये 150 व 200 रुपये प्रतिमाह प्रति छात्र की दर से वृत्तिका स्वीकृत की जाती है। वर्ष 1987-88 में 29 एवं 1989-89 में 30 व्यक्तियों को लाभान्वित किया गया है तथा वर्ष 1989-90 में 30 व्यक्तियों का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना में एक परिवार के एक ही सदस्य को लाभान्वित किया जाता है।

2225/01 अनुसूचित जातियों का कल्याण
305-कृषि

(11) कृषकों को ऋण के ब्याज के पुनर्भरण हेतु 0.84 — — 1.50 — — 1.30 — — 1.00 — — 1.00 — 1.00

कृषकों के ऋण के ब्याज के पुनर्भरण हेतु अनुसूचित जाति के लघु कृषकों को कृषि कूप निर्माण / जीर्णोद्धार हेतु सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये रुपये 5000/- तक ऋण के ब्याज के पुनर्भरण की योजना के अन्तर्गत कृषकों को लाभान्वित किया जाता है। यह ब्याज का पुनर्भरण बैंकों द्वारा ब्याज की माँग करने पर भुगतान किया जाता है।

वर्ष 1987—88	वर्ष 1988—89	वर्ष 1989—90 (लक्ष्य)
लाभान्वित	लाभान्वित	लाभान्वित
517	400 (अनुमानित)	350

2225/01 अनुसूचित जातियों का कल्याण
800-अन्य व्यय

(12) स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता 3.63 — — 6.00 — — 3.50 — — 3.50 — 3.50

स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता—अनुसूचित जाति के कल्याण क्षेत्र में संलग्न संस्थाओं को जिनमें हरिजन सेवक समाज, बापा सेवासदन, बाल रश्मि सोसायटी आदि हैं उनके कार्यालयों के व्यय के लिए राज्य सरकार द्वारा वास्तविक मान्य व्यय की

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	वर्ष 1987-88			आय व्ययक अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय-व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र.यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

90% तक राशि सहायतार्थ अनुदान के रूप में दी जाती है। बाल रश्मि सोसायटी के द्वारा एक आवासीय स्कूल भी चलाया जा रहा है।

2225/01 अनुसूचित जातियों का कल्याण
800-अन्य व्यय

(13) अन्तर्जातीय विवाह हेतु सबर्णों को प्रोत्साहन — — — — 0.20 — — 0.20 — — 0.20 — — 0.20

छुआछूत उन्मूलन के प्रति युवकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्ति की सवर्ण के साथ विवाह होने पर उस दम्पति को 5000/- रुपये की सहायता दी जाती है। रकम दम्पति के संयुक्त बैंक खाते में जमा करायी जाती है। वर्ष 1987-88 में 1 दम्पति को सहायता उपलब्ध करायी गयी तथा वर्ष 1988-89 में 3 दम्पतियों को सहायता उपलब्ध करायी जा चुकी है। आगामी वर्ष 1989-90 के लिए 4 दम्पतियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

2225/01 अनुसूचित जातियों का कल्याण
800-अन्य व्यय

(14) नागरिकों अधिकारों की सुरक्षा हेतु सहायता 2.88 3.00 — — 1.50 3.00 — — 1.50 3.00 — — 1.50 4.00 — — 5.50

नागरिक अधिकारों की सहायता—समाज के असामाजिक तत्वों द्वारा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के ऊपर किये गये अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों को तुरन्त सहायता की दृष्टि से जिला कलेक्टरों के माध्यम से आर्थिक सहायता की व्यवस्था की जाती है।

2225/01 अनुसूचित जातियों का कल्याण
103 अनुसूचित जाति संगठन योजना

(15) अनुसूचित जाति उप योजना — — — — 986.96 — — 952.34 — — 952.34 — — 952.34 952.34

राज्य योजना का लाभ अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए सुनिश्चित करने हेतु योजना व्यय में से अनुपातिक व्यय अनुसूचित जाति के परिवार पर ही खर्च हो इसके लिए उक्त योजना क्रियान्वित की जाती है साथ ही बेस्ती कार्यक्रम की योजना के माध्यम से अनुसूचित जाति की बस्तियों में बिजली, पीने का पानी, चिकित्सा एवं पर्यावरण सुधार के कार्यक्रम निष्पादित किये जाते हैं। वर्ष 87-88 में 2313 बस्तियों में पीने का पानी एवं 1026 बस्तियों में बिजली उपलब्ध करायी गयी। 20 सूत्री कार्यक्रम के मूत्र संख्या 11(अ) के अन्तर्गत फरवरी 89 तक 93712 परिवारों को लाभ पहुंचाया गया है।

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लेखे 1987-88			आय व्ययक अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय-व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भित्त	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भित्त	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भित्त	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भित्त	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	1	13	14	15	
2225-अनु० जातियों, जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण														
02-अनु० जन जातियों का कल्याण														
1. योजना एवं सांख्यिकी		3.99	—	—	4.85	—	—	4.91	—	—	5.92	—	—	5.92
277-शिक्षा														
2. छात्रवृत्ति एवं बजीफा		326.35	21.86	5.52	385.05	19.80	20.00	386.95	19.80	20.00	387.55	19.80	20.00	427.35
3. छात्रावासों का संचारण		105.38	6.94	—	121.64	18.34	—	122.12	10.99	—	123.85	16.72	—	140.57
4 शिक्षा विभाग के माध्यम से प्राथ० विद्यालयों का चलाना		1.11	—	—	1.30	—	—	1.30	—	—	1.45	—	—	1.45
5. आश्रम स्कूल		6.93	—	—	7.36	—	—	8.66	—	—	8.21	—	—	8.21
6. पूर्व प्रशिक्षण तथा स्टेनोग्राफी प्रशिक्षण		0.11	0.71	0.72	1.61	2.98	2.98	1.61	2.98	2.98	1.61	2.98	2.98	7.57
7. स्वै० अभिकरणों को सहायता		1.50	—	—	1.50	—	—	1.50	—	—	1.50	—	—	1.50
8. प्रारम्भिक विद्यार्थियों को प्रोत्साहन		—	3.85	—	—	4.40	—	—	4.14	—	—	4.40	—	4.40
287-रोजगार														
9. बेरोजगार स्नातकों/स्नातकोत्तरों को छात्रवृत्ति/बजीफा		—	0.28	—	—	0.40	—	—	0.40	—	—	0.40	—	0.40
305-कृषि														
10. कृषकों को ऋण के ब्याज का पुन- भरण		0.23	—	—	0.50	—	—	0.50	—	—	0.50	—	—	0.50
800-अन्य व्यय														
11. नागरिक अधिकारों की सुरक्षा		—	—	—	0.73	—	—	0.73	—	—	0.73	—	—	0.73
योग		445.60	33.64	6.24	524.54	45.92	22.98	528.28	38.31	22.98	531.32	44.30	22.98	598.60

योजनानुसार विश्लेषण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लेखे 1987-88			आय व्ययक अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2225/02 अनु. जनजातियों का कल्याण

अनुसूचित जाति के कल्याण सम्बन्धित योजनाओं, जिनका विस्तृत विवरण पूर्व में दिया गया है, की भांति ही अनु० जनजाति के कल्याण के लिए उक्त शीर्षक में प्रावधानानुसार सभी सुविधायें तदनुसार उपलब्ध कराई जा रही हैं।

उपर्युक्त योजनाओं के अन्तर्गत लाभान्वितों की स्थिति निम्न प्रकार से है :-

क्र. सं.	प्रवृत्ति का नाम	संस्थाओं की संख्या			लाभान्वितों की संख्या		
		वर्ष 87-88	वर्ष 88-89	वर्ष 89-90(लक्ष्य)	वर्ष 87-88	वर्ष 88-89	वर्ष 89-90(लक्ष्य)
1.	छात्रवृत्तियाँ पूर्व मैट्रिक	—	—	—	143605	153563	172983
	उत्तर मैट्रिक	—	—	—	10598	10982	12969
2.	राजकीय छात्रावास	81	91	91	4110	4360	4360
3.	अनुदानित छात्रावास	50	50	50	2203	2203	2203
4.	राजकीय आश्रम स्कूल	4	4	4	200	200	200
5.	अनुदानित आश्रम स्कूल	4	3	3	100	75	75
6.	प्रा. विद्यालयों को चलाना	7	7	7	—	—	140स्वीकृत
7.	पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र	5	5	5	258	260	262
8.	स्वैच्छिक अभिकरण	1	1	1	—	—	—
9.	बैरोजगार स्नातक/स्नातकोत्तरों को वजीफा	—	—	—	22	30	30
10.	कृषकों को ऋण के ब्याज का पुनर्भरण	—	—	—	183	150(अनुमानित)	150
11.	नागरिक अधिकारों की सुरक्षा हेतु सहायता	—	—	—	23	20(अनुमानित)	25

2225/03-पिछड़ी जातियों का कल्याण

277-शिक्षा

1.	छात्रवृत्तियाँ	16.21	0.10	—	16.65	1.00	—	18.65	1.00	—	18.75	1.00	—	19.75
2.	छात्रावासों का संधारण	20.70	6.94	—	25.73	2.70	—	26.38	2.59	—	27.63	3.04	—	30.67
3.	प्रा० वि० को प्रोत्साहन	0.54	—	—	—	0.35	—	—	0.20	—	—	0.35	—	0.35
4.	शिशु पाठशालाओं का संचालन	2.38	—	—	2.70	—	—	3.04	—	—	3.05	—	—	3.05

283-गृह निर्माण

5.	गृह निर्माण अनुदान	—	0.80	—	—	1.00	—	—	1.00	—	—	1.00	—	1.00
----	--------------------	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	------

800-अन्य व्यय

6.	विमुक्त एवं घुमन्तु जातियों के लिए विशेष समन्वित योजना	—	3.02	—	—	5.00	—	—	5.00	—	—	5.00	—	5.00
----	--	---	------	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	------

योग		39.83	10.86	—	45.08	10.05	—	48.07	9.79	—	49.43	10.39	—	59.82
-----	--	-------	-------	---	-------	-------	---	-------	------	---	-------	-------	---	-------

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लेखे 1987-88			आय-व्ययक अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय-व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2225/03 पिछड़ी जातियों का कल्याण

अनुसूचित जातियों तथा जतजातियों के कल्याण सम्बन्धी योजनाओं की भांति ही पिछड़ी जातियों के कल्याण हेतु उक्त शीर्षकों में प्रावधानानुसार सभी सुविधायें तदनुसार उपलब्ध करायी जा रही हैं। विभिन्न वर्षों में पिछड़ी जातियों के अन्तर्गत उपलब्धियाँ निम्न प्रकार से हैं—

क्र.सं.	प्रवृत्ति का नाम	संस्थाओं की संख्या			लाभान्वितों की संख्या		
		1987-88	1988-89	1989-90(लक्ष्य)	1987-88	1988-89	1989-90(लक्ष्य)
1.	छात्रवृत्ति पूर्व मैट्रिक उत्तर मैट्रिक	—	—	—	9150	9240	9375
2.	राजकीय छात्रावास	27	27	26	1071	1071	1011
3.	अनुदानित छात्रावास	2	2	2	218	218	218
4.	शिशु पाठशालाओं का संचालन	11	11	11	—	—	—
5.	गृह निर्माण अनुदान	—	—	—	130	165(अनुमानित)	150
6.	विशेष स्वीकृत योजना	—	—	—	—	100(अनुमानित)	100

ब्यावर जिला अजमेर के 33 गाड़िया लुहार परिवारों को बसाया जा चुका है तथा चूरू एवं चित्तौड़गढ़ के क्रमशः 93 एवं 21 गाड़िया लुहारों के परिवारों को मकान निर्माण हेतु अनुदान दिया गया है। इसके अतिरिक्त चालू वर्ष 88-89 में जयपुर में 31, जोधपुर में 10, सीकर में 27, व चित्तौड़गढ़ में 32 गाड़िया लुहार परिवारों के लिये जिला कलेक्टरों को 5 लाख रु० अनुदान हेतु आवंटित किया गया है।

योजनानुसार विश्लेषण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.स.	लेखा शीर्षक	लेखे 1987-88			आय व्ययक अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना भिन्न	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	

2225-अनु० जातियों, जनजातियों और

अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

01-अनु० जातियों का कल्याण

मांग संख्या-30

796-जनजाति क्षेत्र उपयोगना

1. छात्रवृत्तियां	1.18	—	—	1.00	0.45	—	1.00	0.45	—	1.00	0.45	—	1.45
2. बेरोजगार स्नातकों एवं स्नातकोत्तरों को छात्रवृत्तियां	—	—	—	—	0.05	—	—	0.05	—	—	0.05	—	0.05
3. कृषकों को ऋण के व्याज के भुगतान हेतु	0.15	—	—	0.15	—	—	0.10	—	—	0.10	—	—	0.10
4. गृह निर्माण अनुदान	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	0.20
योग	1.33	0.20	—	1.15	0.70	—	1.10	0.70	—	1.10	0.70	...	1.80

02-अनु० जन जातियों का कल्याण

796-जन जाति क्षेत्र उपयोगना

1. छात्रवृत्तियां	4.54	—	—	7.56	6.70	—	7.56	6.70	—	7.56	6.70	—	14.26
2. छात्रावासों का संधारण (वि.के.से.)	4.90	—	24.78	5.50	7.25	—	5.60	5.49	—	5.70	7.60	33.50	46.80
3. कृषकोंको ऋण के व्याज हेतु भुगतान	0.10	—	—	0.20	—	—	0.10	—	—	0.05	—	—	0.05
4. बेरोजगार स्नातकों एवं स्नातकोत्तरों को छात्रवृत्तियां	—	—	—	—	0.05	—	—	0.05	—	—	0.10	—	0.10
5. खनन पट्टे के क्रय हेतु अनुदान	—	—	—	—	1.00	—	—	1.00	—	—	1.00	—	1.00
6. छात्रागों के छात्रावासों के भवन निर्माण हेतु	—	—	7.13	—	4.00	4.00	—	4.00	4.00	—	13.20	13.20	26.40
7. प्रा० विद्यार्थियों को प्रोत्साहन	—	—	—	—	0.30	—	—	0.30	—	—	0.30	—	0.30

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं	लेखा शीर्षक	लखे 1987-88			आय-व्ययक अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय-व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	8. जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्था की केन्द्र प्रवर्तित योजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	योग	9.54	—	31.91	13.26	19.30	4.00	13.26	17.54	4.00	13.31	28.90	46.70	88.91
	योग 2225 मांग संख्या 30	10.87	0.20	31.91	14.41	20.00	4.00	14.36	18.24	4.00	14.41	29.60	46.70	90.71
	2235-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण 02-समाज कल्याण मांग संख्या-30	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	796-जनजाति क्षेत्र उपयोजना	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	1. संयुक्त सहायता के लिये अनुदान	—	0.49	—	—	0.50	—	—	0.50	—	—	0.50	—	0.50
	2. शारीरिक एवं मानसिक पीड़ितों के क्षेत्रों में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता	—	—	—	—	0.50	—	—	0.50	—	—	0.50	—	0.50
	3. निराश्रित बालकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता	—	0.66	0.62	—	1.00	1.00	—	1.00	1.00	—	1.00	1.00	2.00
	4. विकलांग छात्रवृत्ति	—	—	—	—	1.00	—	—	1.00	—	—	1.00	—	1.00
	योग	—	1.15	0.62	—	3.00	1.00	—	3.00	1.00	—	3.00	1.00	4.00

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	(राशि लाख रुपयों में)											योग	
		लेखे 1987-88			आय व्यय अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय-व्यय अनुमान 89-90			
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय		केन्द्रीय प्र. यो.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2225-अनु. जातियों/अनु. जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

796-जन-जाति क्षेत्र उपयोजना

जनजाति क्षेत्र में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को खनिज व्यवस्था में पुनः स्थापन हेतु खानों के लिये उपयोग में आने वाले उपकरणों को क्रय करने एवं खनिज व्यवसाय हेतु गठित सहकारी समितियों के हिस्से क्रय करने हेतु विभाग द्वारा अनुदान राशि दी जाती है। वर्ष 1987-88 में 200 व्यक्ति, वर्ष 88-89 में 200 व्यक्ति (अनुमानित) लाभान्वित हुए तथा वर्ष 89-90 में 200 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है।

	संस्थाओं की संख्या			लाभान्वितों की संख्या		
	वर्ष 1987-88	88-89	89-90 (लक्ष्य)	वर्ष 1987-88	88-89	89-90 (लक्ष्य)
	राजकीय छात्रावास	68	71	71	1690	1765

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण मांग संख्या-31

01-पुनर्वास

800-अन्य व्यय

भोजन, वस्त्र और चिकित्सा व्यय समाज कल्याण विभाग के माध्यम से

0.07

—

0.10

—

—

0.10

—

—

0.10

—

0.10

उपर्युक्त मद में विस्थापितों को रु. 40/- प्रति माह केशनडोल के रूप में जिला कलेक्टर (पुनर्वास) द्वारा दिया जाता है। इस मद में लाभान्वित 1987-88 में 11, 1988-89 में 11 को केशनडोल स्वीकृत किया गया है तथा वर्ष 1989-90 में 11 को स्वीकृति प्रदान करने का लक्ष्य है।

2235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण मांग संख्या-33

02-समाज कल्याण

001-निर्देशन एवं प्रशासन

7.11 2.68

—

5.80

2.83

—

5.87

2.73

—

7.17

3.73

—

10.90

इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं के मध्य समन्वय रखा जाता है तथा शिक्षण और अनुसंधान कार्य सम्पादित किया जाता है।

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लेखे 1987-88			आय व्ययक अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय-व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भित्त	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भित्त	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भित्त	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भित्त	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	1	13	14	15	
2235-02 समाज कल्याण														
101-विकलांग कल्याण														
	1. वृद्ध एवं निर्बलों का कल्याण	4.18	—	—	4.03	—	—	3.93	—	—	4.28	—	—	4.28
	2. संयुक्त सहायता के लिए अनुदान	—	6.28	—	—	5.00	—	—	5.57	—	—	7.50	—	7.50
	3. शारीरिक तथा मानसिक पीड़ितों के क्षेत्र में कार्यकारी स्वेच्छिक अभिकरणों को सहायता	3.67	2.52	—	4.25	3.00	—	4.50	3.00	—	5.00	3.50	—	8.50
	4. कोढ़ पीड़ित गृह	2.97	—	—	2.63	—	—	3.15	—	—	2.29	—	—	2.29
	5. शारीरिक विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	65.00	8.00	24.73	80.00	8.00	38.00	89.00	8.00	38.00	90.00	8.00	38.00	136.00
	6. शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, शिक्षित विकलांगों को वृत्तिका एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना	—	1.00	—	—	1.35	0.10	—	1.35	0.10	—	6.25	0.10	6.35
	7. जिला पुनर्वास केन्द्र योजना	—	—	—	—	—	4.50	—	—	4.50	—	—	6.50	6.50
	योग	75.82	17.80	24.73	90.91	17.35	42.60	100.58	17.92	42.60	101.57	25.25	44.60	171.42

योजनानुसार विश्लेषण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लेखे 1987-88			आय व्ययक अनुमान 88-89			समाधान अनुमान 88-89			आय व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2235/02-समाज कल्याण

101-विकलांग कल्याण

1.	वृद्ध एवं निर्बलों का कल्याण	4.18	—	—	4.03	—	—	3.93	—	—	4.28	—	—	4.28
					<p>वृद्ध एवं अशक्त व्यक्तियों, जिनकी देखभाल करने वाले कोई नहीं हैं, को रखने एवं सहायता के लिए विभाग द्वारा वृद्ध एवं अशक्त गृह, पुष्कर एवं टोक में चलाये जा रहे हैं। जहाँ इन्हें भोजन, वस्त्र, आवास एवं इलाज की निःशुल्क सेवा उपलब्ध करायी जाती है। वर्ष 1987-88 में 612, 1988-89 में 668 व्यक्तियों को लाभान्वित किया जा चुका है। वर्ष 1989-90 में 725 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य है।</p>									
2.	संयुक्त सहायता के लिए अनुदान	—	6.28	—	—	5.00	—	—	5.57	—	—	7.50	—	7.50
					<p>संयुक्त सहायता के लिए अनुदान - विकलांग व्यक्तियों को सहायक उपकरण यथा श्रवण यन्त्र, कृत्रिम अंग ट्राईसाइकल इत्यादि क्रय करने हेतु सहायता राशि विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। विकलांग व्यक्तियों को स्वरोजगार हेतु भी सहायता इस योजना द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।</p>									
3.	शारीरिक तथा मानसिक पीड़ितों के क्षेत्र में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों को सहायता	3.67	2.52	—	4.25	3.00	—	4.50	3.00	—	5.00	3.50	—	8.50
					<p>विकलांग कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत विभिन्न स्वैच्छिक अभिकरणों के विकलांग सेवा के प्रयोजनार्थ विभाग द्वारा वास्तविक व्यय का 90% तक अनुदान इस मद के अन्तर्गत स्वीकृत किया जाता है। जिनमें मुख्यतः महावीर विकलांग समिति, वाधित बाल विकास समिति, नेत्रहीन सेवा संघ, राजस्थान सोसायटी फॉर रिहेबिलीटेशन, राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ, भारतीय समाज कल्याण परिषद व नेत्रहीन विकास सहायता संस्थान आदि हैं।</p>									
4.	कोढ़ पीड़ित गृह	2.97	—	—	2.63	—	—	3.15	—	—	2.29	—	—	2.29
					<p>कुष्ठ रोगियों की देखभाल करने एवं उनमें आत्मविश्वास जागृत करने हेतु विभाग एक कोढ़ पीड़ित गृह, जयपुर में संचालित कर रहा है। राज्य सरकार के निर्णयानुसार इस कुष्ठ गृह का संचालन माह 9/88 से श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर को स्थानान्तरित कर दिया गया है। संस्था को अनुदान स्वीकृत किया जाता है।</p>									
5.	शारीरिक विकलांग विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति	65.00	8.00	24.73	80.00	8.00	38.00	89.00	8.00	38.00	90.00	8.00	38.00	136.00
					<p>शारीरिक विकलांग विद्यार्थियों को राज्य सरकार की योजनान्तर्गत कक्षा 5 तक के लिए रुपये 40/- प्रतिमाह, कक्षा 6 से 8 तक रुपये 50/- प्रतिमाह तथा भारत सरकार की योजनान्तर्गत कक्षा 9 से ऊपर सभी कक्षाओं हेतु रुपये 85/- से रुपये 170/- प्रतिमाह प्रति छात्र 10 माह की अवधि हेतु छात्रवृत्ति उपलब्ध कराई जाती है। वर्ष 1987-88 में 17777, वर्ष 1988-89 में 19547, विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वर्ष 1989-90 में 21501 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।</p>									

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लेखे 1987-88			आय व्ययक अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय-व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.	शारीरिक विकलांग व्यक्तियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों/शिक्षित विकलांग बेरोजगारों को वृत्तिका तथा राज्य स्तरीय पुरस्कार योजना	—	1.00	—	—	1.35	0.10	—	1.35	0.10	—	6.25	0.10	6.35
					राज्य में विकलांगों को प्रशिक्षण जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों के माध्यम से दिया जा रहा है। इस दौरान स्थानीय प्रशिक्षणार्थियों को रुपये 50/- प्रतिमाह तथा बाहर के प्रशिक्षणार्थियों को रुपये 150/- प्रतिमाह वृत्तिका उपलब्ध करायी जा रही है। आठ स्वयं सेवी संस्थाओं में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है जिन्हें विभाग अनुदान उपलब्ध कराता है। इनमें प्रशिक्षण के पश्चात विकलांग व्यक्ति को स्वरोजगार आरम्भ करने हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक से रुपये 6000/- तक 4% ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिला विकास अभिकरण के माध्यम से उनके प्रोजेक्ट कास्ट का 33.33 प्रतिशत अधिकतम रुपये 3000 तक का अनुदान भी दिया जा रहा है। लगभग 150 विकलांग प्रतिवर्ष लाभान्वित हो रहे हैं आगामी वर्ष में इस योजना से 300 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकलांग व्यक्तियों को पेट्रोल व्यय के पुनर्भरण की सहायता भी प्रदान की जाती है तथा विकलांगों के कार्यक्षेत्र में संलग्न श्रेष्ठ स्वैच्छिक अभिकरण, श्रेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता तथा श्रेष्ठ नियोजक एवं कर्मचारी को पुरस्कृत करने की व्यवस्था भी की गयी है। बेरोजगार विकलांग, द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण स्नातक तथा स्नातकोत्तरों को क्रमशः रु. 150/- तथा रु. 250 प्रतिमाह वृत्तिका देने का प्रावधान है। वर्ष 1988-89 में 8 शिक्षित विकलांगों को यह वृत्तिका दी गयी।									
7.	जिला पुनर्वास केन्द्र	—	—	—	—	—	4.50	—	—	4.50	—	—	6.50	6.50
					केन्द्रीय सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में विकलांगों के पुनर्वास की योजना के अन्तर्गत खोले गये 14 जिला पुनर्वास केन्द्रों में राजस्थान से देश का सातवां जिला पुनर्वास केन्द्र कोटा में स्थापित किया गया। जहाँ ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास, सम्बन्धित सुविधायें प्रदान कर उनमें आत्मबल जागृत करने तथा स्वावलम्बी जीवन जीने के समर्थ बनाने का प्रयास किया जा रहा है। यह योजना किशनगंज, छबड़ा दो ब्लाक्स में अभी आरम्भ की गयी है। इस योजना में यूनिसेफ की सहायता तथा केन्द्रीय राशि से कार्य प्रगति पर है।									

योजनानुसार विश्लेषण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं	लेखा शीर्षक	लेखे 1987-88			आय-व्ययक अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय-व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न 3	आयोजना व्यय 4	केन्द्रीय प्र. यो. 5	आयोजना भिन्न 6	आयोजना व्यय 7	केन्द्रीय प्र. यो. 8	आयोजना भिन्न 9	आयोजना व्यय 10	केन्द्रीय प्र. यो. 11	आयोजना भिन्न 12	आयोजना व्यय 13	केन्द्रीय प्र. यो. 14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2235-02 समाज कल्याण														
102-बाल कल्याण														
	1. सिधी स्त्रियों एवं बच्चों के न्यास को सहायतार्थ अनुदान/सहायता राज्य स्टेट कॉमिल चाइल्ड वेलफेयर	0.02	—	—	0.10	—	—	0.08	—	—	0.08	—	—	0.08
	2. कल्याण विस्तार योजनाओं सहायतार्थ अनुदान/अनुदान सहायता समाज कल्याण विभाग के माध्यम से	16.04	—	—	20.00	—	—	16.00	—	—	16.00	—	—	16.00
	3. शिशु गृह	6.58	—	—	6.94	1.77	—	7.89	1.57	—	8.01	1.84	—	9.85
	4. बाल अधिनियम योजना	26.81	3.92	—	27.96	13.95	6.70	28.66	9.23	6.70	33.49	20.40	7.41	61.30
	5. बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यकारी स्वेच्छिक अभिकरणों को सहायता अनुदान, अंशदान/सहाय	31.38	4.45	4.46	44.36	4.50	4.50	35.00	4.50	4.50	1.00	4.50	4.50	10.00
	6. विमिन्दित मानसिक पीड़ित बच्चों के लिए गृह	1.93	—	—	1.99	—	—	1.47	—	—	1.65	—	—	1.65
	7. बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यकारी स्वे० अभि० एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को पारितोषिक	—	—	—	—	0.70	—	—	0.70	—	—	0.70	—	0.70
	योग	82.76	8.37	4.46	101.35	20.92	11.20	89.10	16.00	11.20	60.23	27.44	11.91	99.58

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लेखे 1987-88			आय व्ययक अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय-व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	1	13	14	15	
2235/102-बाल कल्याण														
1.	सिधी स्त्रियों और बच्चों के न्यास को सहायतार्थ	0.02	—	—	0.10	—	—	0.08	—	—	0.08	—	—	0.08
सिधी स्त्रियों और बच्चों के न्यास को सहायतार्थ—इस शीर्षक से सिधी स्त्रियों और बच्चों के कल्याण के लिये गठित न्यास के सहायतार्थ अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है।														
2.	कल्याण विस्तार योजना	16.04	—	—	20.00	—	—	16.00	—	—	16.00	—	—	16.00
कल्याण विस्तार योजना—राज० राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड द्वारा 8 सामुदायिक विकास परियोजना व 6 सीमावर्ती परियोजनाएँ चलाई जा रही हैं। परियोजनाओं पर आने वाला व्यय केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा राज्य सरकार के बीच 2 : 1 के अनुपात में किया जा रहा है। राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड के प्रधान कार्यालय पर होने वाले व्यय में से 50% राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। अध्यक्ष राजस्थान राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड की सुविधाओं हेतु समस्त व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है। इस हेतु आवश्यक प्रावधान उक्त शीर्षक में प्रस्तावित किया गया है।														
3.)	शिशु गृह	6.58	—	—	6.94	1.77	—	7.89	1.57	—	8.01	1.84	—	9.85
शिशु गृह—बाल कल्याण योजनान्तर्गत विभाग द्वारा दो शिशु गृह क्रमशः जयपुर एवं जोधपुर में चलाये जा रहे हैं। इसके साथ ही जयपुर में एक स्वयं सेवी संस्था द्वारा शिशु गृह संचालित है इनकी क्षमता 85 बालकों को रखने की है। इन बालकों की														

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लक्षे 1987-88			आय व्ययक अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय-व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र.यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

पूर्ण देखभाल की जाती है एवं उपयुक्त परिवारों में बालकों को परिरक्षा में भी दिया जाता है ताकि इन बच्चों की अच्छी देखभाल हो सके।

4. बालक अधिनियम योजना 26.81 3.92 — 27.96 13.95 6.70 28.66 9.23 6.70 33.49 20.40 7.41 61.30

बालक अधिनियम योजना—राज्य में उपेक्षित एवं अपचारी बालकों की देखरेख, प्रशिक्षण, शिक्षा और पुनर्वास के उद्देश्य से दिनांक 2 10.87 से केन्द्रीय अधिनियम के रूप में किशोर न्याय अधिनियम, 1986 सारे राज्य में लागू किया गया है। किशोर न्याय अधिनियम के तहत उपेक्षित बालकों की जांच के लिए 27 जिलों में किशोर कल्याण बोर्ड एवं अपचारी बालकों के लिए 11 जिलों में किशोर न्यायालयों की स्थापना की गई है। वर्तमान में राज्य में 11 सम्प्रेषण गृह, 3 किशोर गृह एवं एक विशेष गृह और एक बालिका गृह संचालित है।

क्र.सं.	प्रवृत्ति का नाम	संस्थाएँ	लाभान्वित		
			वर्ष 1987-88	वर्ष 1988-89	वर्ष 1989-90 (लक्ष्य)
1.	किशोर गृह	3	132	175	175
2.	सम्प्रेषण गृह	11	501	325	325
3.	विशेष गृह	1	17	25	25

5. विमन्दित मानसिक रोग पीड़ित बच्चों के लिए गृह 1.93 — — 1.99 — — 1.47 — — 1.65 — — 1.65

विमन्दित मानसिक पीड़ित बच्चों के लिए गृह—विमन्दित एवं मानसिक बच्चों को समाज की उपेक्षा एवं प्रताड़ना से बचाने हेतु विभाग द्वारा एक गृह इन बच्चों के लिए जयपुर में संचालित किया जा रहा है। इस गृह में 25 बालकों की देखरेख करने की सुविधा उपलब्ध है।

6. बालकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों की सहायता 31.38 4.45 4.46 44.36 4.50 4.50 35.00 4.50 4.50 1.00 4.50 4.50 10.00

बालकों के कल्याण के क्षेत्र में स्वैच्छिक अभिकरणों की सहायता—विभिन्न स्वयं सेवी संस्थाओं के सहयोग से निराश्रित बाल गृहों की 130 इकाईयों का संचालन किया जा रहा है जिनमें 3250 बालक-बालिकाओं को सुविधायें उपलब्ध कराई जा रही है।

7. बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यकारी स्वैच्छिक अभिकरणों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को पारितोषिक — — — — 0.70 — — 0.70 — — 0.70 — — 0.70

बच्चों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यकारी स्वै अभिकरणों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को पारितोषिक—बालकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत स्वै अभिकरणों एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं में श्रेष्ठ कार्य करने वाली संस्था/कार्यकर्ता को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से उक्त योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत करने हेतु प्रावधान रखा गया है।

योजनानुसार विश्लेषण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लक्ष 1987-88			आय-व्ययक अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय-व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2235-02 समाज कल्याण														
103-महिला कल्याण														
	1. राज्याश्रालय	12.12	0.43	—	12.95	—	—	12.65	—	—	14.58	—	—	14.58
	2. सामाजिक और नैतिक आचार तथा पश्चातवर्ती सेवाओं के क्षेत्र में कार्य० स्वे० अभि० को सहायता/सहायतार्थ अनुदान / अंशदान / सहाय	0.31	—	—	0.40	—	—	0.60	—	—	0.60	—	—	0.60
	3. महिला प्रशिक्षण केन्द्र, महिला पुनर्वास हेतु स्वे० अभि० को सहायतार्थ अनुदान अंशदान/सहाय	—	2.58	2.34	—	2.25	2.25	—	2.25	2.25	—	2.25	2.25	4.50
	4. विमन्दित एवं मानसिक पीड़ित महिला गृह	—	2.75	—	—	3.83	—	—	4.09	—	—	4.54	—	4.54
	5. महिला रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र	—	0.17	—	—	0.44	—	—	0.40	—	—	0.48	—	0.48
	योग	12.43	5.93	2.34	13.35	6.52	2.25	13.25	6.74	2.25	15.18	7.27	2.25	24.70

योजनानुसार विश्लेषण

(राशि लाख रूपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लेखे 1987-88			आय व्यय अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय-व्यय अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र.यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
22	5/02 समाज कल्याण 103-महिला कल्याण													
1.	राज्याश्रालय	12.12	0.43	—	12.95	—	—	12.65	—	—	14.58	—	—	14.58
2.	सामाजिक और नैतिक आचार तथा पश्चात्वर्ती सेवाओं के क्षेत्र में कार्यकारी एवं स्वे अभि. को सहायतार्थ अनुदान/अंशदान/सहाय	0.31	—	—	0.40	—	—	0.60	—	—	0.60	—	—	0.60
3.	महिला प्रशिक्षण केन्द्र, महिला पुनर्वास संस्था हेतु स्वैच्छिक अभि. को सहायतार्थ अनु./अंशदान एवं सहायता	—	2.58	2.34	—	2.25	2.25	—	2.25	2.25	—	2.25	2.25	4.50
4.	विमन्दित एवं मानसिक पीड़ित महिला गृह	—	2.75	—	—	3.83	—	—	4.09	—	—	4.54	—	4.54
5.	महिला रोजगार प्रशिक्षण केन्द्र	—	0.17	—	—	0.44	—	—	0.40	—	—	0.48	—	0.48

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लख 1987-88			आय-व्यय अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय-व्यय अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

2235/02 समाज कल्याण

104-वृद्ध/अक्षम और निराश्रितों का
कल्याण

1. भिक्षावृत्ति को रोकना	11.35	—	—	12.57	—	—	11.56	—	—	14.93	—	—	14.93
2. भिक्षुओं का पुनर्वास एवं प्र.	—	—	—	—	0.20	—	—	0.20	—	—	0.20	—	0.20

भिक्षावृत्ति जो एक सामाजिक बुराई है, इस प्रवृत्ति पर नियन्त्रण रखने एवं इस वृत्ति में संलग्न व्यक्तियों को पुनर्वास हेतु विभाग द्वारा राज्य में तीन भिक्षु सेवा सदन के नाम से जयपुर, अजमेर व उदयपुर में संचालित किये जा रहे हैं। भिक्षुओं में से स्वस्थ एवं कार्यशील व्यक्तियों का व्यावसायिक एवं उद्योग का प्रशिक्षण दिया जाता है। जहां कपड़ा, लकड़ी एवं लोहे का सामान बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। जो कि उनके पुनर्स्थापन में सहायक सिद्ध हो रहा है। इस प्रकार की कार्यशाला अजमेर में स्थापित की गयी है। वर्ष 1987-88 में 733, 88-89 में 950 व्यक्ति लाभान्वित हो चुके हैं एवं वर्ष 89-90 हेतु 1175 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 88 तक 3727 भिक्षुओं का पुनर्वास विभिन्न सेवाओं में किया जा चुका है।

2235/02 समाज कल्याण

800-अन्य व्यय

I-समाज प्रतिरक्षा सेवाएँ

1. परिवीक्षा सेवाएं	13.57	1.22	—	15.50	2.73	—	15.56	2.24	—	17.06	3.37	—	20.43
2. कारागार कल्याण सेवाएं	2.36	0.60	—	2.50	0.60	—	2.45	0.60	—	2.75	0.60	—	3.35
3. अफीम उन्मूलन का कार्यक्रम	2.36	0.66	—	—	1.35	—	—	1.11	—	—	1.64	—	1.64

	18.29	2.48	—	18.00	4.68	—	18.01	3.95	—	19.81	5.61	—	25.42
--	-------	------	---	-------	------	---	-------	------	---	-------	------	---	-------

1. परिवीक्षा सेवाएँ	13.57	1.22	—	15.50	2.73	—	15.56	2.24	—	17.06	3.37	—	20.43
---------------------	-------	------	---	-------	------	---	-------	------	---	-------	------	---	-------

परिवीक्षा सेवाएं—इस योजना के अन्तर्गत आजीवन कारावास एवं मृत्युदण्ड के अलावा सजायापता अपराधियों को कारागार दण्ड की अपेक्षा एक निश्चित अवधि और निहित शर्तों पर अच्छे आचरण रखने हेतु यदि उचित समझा जावे तो परिवीक्षा अधिकारी की देखरेख में छोड़ा जाता है। पैरोल नियमानुसार बन्दी को पैरोल पर छोड़े जाने से पूर्व उनके चाल-चलन, व्यवहार, पारिवारिक एवं सामाजिक स्थिति पर परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट ली जाती है। अपराधियों के सुधार एवं पुनर्वास कार्यक्रमों को अधिक व्यावहारिक एवं रचनात्मक बनाने की दृष्टि से अपराधी का स्थानीय स्तर पर स्थानीय व्यक्ति प्रायः अनुभवी अध्यापकों द्वारा पर्यवेक्षण के लिए अंशकालीन पर्यवेक्षक अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है। वर्तमान में 19 परिवीक्षा अधिकारियों के अधीन 117 अंशकालीन पर्यवेक्षण अधिकारी लगभग 414 परिवीक्षाार्थियों का पर्यवेक्षण कर रहे हैं। इसका 30/- प्रतिमाह प्रति परिवीक्षार्थी मानदेय दिया जाता है।

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लेखे 1987-88			आय व्यय अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय-व्यय अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	1	13	14	15	

2. कारागृह कल्याण सेवार्यें 2.36 0.60 — 2.50 0.60 — 2.45 0.60 — 2.75 0.60 — 3.35

कारागृह कल्याण सेवार्यें—इस योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय जेलों तथा मुख्य जिला जेलों में विभागीय जिला परिवीक्षा एवं समाज कल्याण अधिकारी कारागृह कल्याण अधिकारी का कार्य करते हैं। वर्तमान में 19 जिलों में 21 परिवीक्षा एवं कारागृह कल्याण अधिकारी कार्यरत हैं। जो कि बंदियों की व्यक्तिगत समस्याओं का समाधान और बंदी और उसके परिवार के मध्य सम्पर्क सूत्र के कार्य करते हैं। बंदियों के पारिवारिक व सामाजिक समस्याओं का समाधान करने के प्रयत्न भी किये जाते हैं। वर्ष 87-88 में 2503 व 88-89 में 2600 तथा 89-90 में 2650 बंदियों की समस्या के निराकरण का लक्ष्य रखा गया है। पेपर बुक योजना—आजीवन कारावासियों को रास्ता एवं सौम्य न्याय दिलाने की दिशा में उनकी राजस्थान उच्च न्यायालय में पेपर टुक उपलब्ध करायी जाने हेतु निदेशालय स्तर से प्रति पेपर बुक 250/- रुपये का अनुदान स्वीकृत किया जाता है। इस मद में वर्ष 1986 में 15 मामलों में 3750 रुपये एवं दिसम्बर तक 8 मामलों 2000 अनुदान स्वीकृत किया जा चुका है। आलोच्य वर्ष में 5000 का अनुदान स्वीकृत किया गया है। जो 63 अपीलों के लिए है।

3. अफीम उन्मूलन 2.36 0.66 — — 1.35 — — 1.11 — — 1.64 — 1.64

अफीम उन्मूलन—भारत सरकार द्वारा अफीम व नशीली दवाओं से लोगों को मुक्ति दिये जाने और उन्हें पुनर्वासित करने के लिये एक योजना चलाई जा रही है। इस हेतु भारत सरकार राज्य सरकार की सिफारिश पर स्वेच्छिक संगठनों को नशा मुक्ति केन्द्र चलाने व इस हेतु प्रचार-प्रसार के लिए परियोजना का 90% अनुदान देती है। राज्य इस कार्यक्रम को वांछित दिशा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा विभाग के अन्तर्गत एक सहायक निदेशक अफीम मुक्ति का पद जोधपुर में सृजित किया गया है।

2235/02 समाज कल्याण

60-अन्य सामाजिक सुरक्षा और

कल्याण

102-सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत

पेन्शन

I-समाज कल्याण विभाग के माध्यम से

1. वृद्धावस्था पेन्शन	457.79	—	—	500.00	—	—	570.00	—	—	700.00	—	—	700.00
2. अंगहीन व दृष्टिहीन निराश्रितों को पेन्शन	63.03	—	—	68.00	—	—	85.00	—	—	95.00	—	—	95.00
योग	520.82	—	—	568.00	—	—	655.00	—	—	795.00	—	—	795.00

वृद्धावस्था व/अंगहीन/विधवा पेन्शन—इस योजना के अन्तर्गत अशक्त निराश्रित विधवाओं एवं विकलांगों को पेन्शन दी जाती है। पेन्शन का वितरण जिला कलेक्टरों के माध्यम से किया जा रहा है। निराश्रितों वृद्धों में पुरुष की आयु 58 एवं महिला की

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.स.	लेखा शीर्षक	लेखे 1987-88			आय व्ययक अनुमान 88-89			सशोधत अनुमान 88-89			आय व्ययक अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना भिन्न	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

आयु 55 वर्ष होनी चाहिये तथा विधवाओं हेतु कोई आयु सीमा नहीं है। वर्ष 87-88 में 80,000 निराश्रित वृद्ध लाभान्वित हुए, तथा 88-89 में 82,000 व्यक्ति लाभान्वित हो रहे हैं एवं 89-90 में 85,000 व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। विधवाओं को समाज में सम्बल देने हेतु एवं सती प्रथा जैसी कुप्रथा पर नियन्त्रण करने हेतु विधवाओं को पेन्शन स्वीकृत करने में आयु छूट स्वीकृत की गयी है, और इस कुरीति पर नियन्त्रण हेतु विभाग सतत् प्रयत्नशील है। राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 88 से पेन्शन दरों में वृद्धि की है जिसके अनुसार एकल पेन्शनर को 60/- प्रतिमाह तथा संयुक्त पेन्शनर को 100/- प्रतिमाह पेन्शन दी जाती है।

200-अन्य व्यय

I-नाविकों/सैनिकों और विमानिकों
का बोर्ड(iii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए स्व-रोजगार
कार्यक्रम

—	—	—	—	5.00	—	—	5.00	—	—	7.00	—	7.00
---	---	---	---	------	---	---	------	---	---	------	---	------

सचिव सैनिक कल्याण बोर्ड के माध्यम से यह राशि भूतपूर्व सैनिकों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने में खर्च होती है।

2705-क्षेत्र विकास

मांग संख्या-22

101-इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र का विकास

ix-समाज कल्याण विभाग के
अभिकरणों से

1. सामान्य व्यय	2.21	1.01	—	4.07	2.00	—	1.30	2.00	—	1.30	2.00	—	3.30
2. छात्रावासों का संधारण	4.60	1.99	—	4.51	3.40	—	5.37	3.09	—	5.54	3.80	—	9.44
योग	6.81	3.00	—	8.58	5.40	—	6.67	5.09	—	6.94	5.80	—	12.74

इन्दिरा गांधी नहर क्षेत्र में अनुसूचित जाति/जनजातियों के परिवारों को अध्ययनरत छात्रों को छात्रवृत्ति व छात्रावास की सुविधा आदि उपलब्ध कराने के साथ-साथ इस क्षेत्र के विकास के लिए विभाग द्वारा सहकारी समितियों का हिस्सा पूंजी सहायता एवं गृह निर्माण अनुदाव आदि स्वीकृत किये जाते हैं।

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	लेखा शीर्षक	लेखे 1987-88			आय व्यय अनुमान 88-89			संशोधित अनुमान 88-89			आय-व्यय अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	1	13	14	15	

	संस्थाओं की संख्या			लाभान्वितों की संख्या		
	1987-88	88-89	89-90 (लक्ष्य)	1987-88	88-89	89-90 (लक्ष्य)
1. राज. छात्रावास	13	13	13	335	335	335
2. छात्रवृत्ति	—	—	—	492	493	530
3. गृह निर्माण अनुदान	—	—	—	194	194	197

मांग सं. 36
4225-अनुसूचित जाति/जनजातियों
एवं अन्य पिछड़े वर्गों पर
01-अनु जाति का कल्याण
190-सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य उपक्रमों
में विनियोजन

1. राज. अनु. जाति सह. विकास निगम में विनि.	--	10.00	9.61	—	10.00	9.61	—	10.00	9.61	—	10.00	9.61	19.61
--	----	-------	------	---	-------	------	---	-------	------	---	-------	------	-------

राजस्थान अनुसूचित जाति विकास सहकारी निगम द्वारा स्वयं तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं व अभिकरणों के माध्यम से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों के हितार्थ ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अनुसूचित जातियों के प्रार्थियों को अधिक से अधिक से 5000 रुपये तक की सीमा तक अथवा क्रय इकाई की लागत कीमत का 50% अनुदान जो भी कम हो देय है। वर्ष वार विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में खर्च के अनुपात में लाभान्वित अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की सूचना निम्नांकित है :

	विशेष केन्द्रीय सहायता राशि (लाखों में)	लाभान्वित परिवार (व्यक्तियों की संख्या)
1. 1984-85	770.43	59299
2. 85-86	626.54	80209
2. 86-87	888.68	140627
4. 87-88	1388.17	143006
5. 88-89	1037.45	147597 (लक्ष्य)

योजनानुसार विश्लेषण

(राशि लाख रुपयों में)

क्र.सं.	शीर्षक	लेख 1987-88			आय व्यय अनुमान 88-89			सशोधित अनुमान 88-89			आय व्यय अनुमान 89-90			योग
		आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	आयोजना भिन्न	आयोजना व्यय	केन्द्रीय प्र. यो.	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

मांग संख्या-19

4225 अनु. जाति/ज. जाति एवं पिछड़े

वर्गों पर पूंजीगत व्यय

80-सामान्य

1. भवन

— 16.89 — — 3.00 — — 4.20 — — 2.00 — 2.00

2059 लोक निर्माण

विभाग के भवन निर्माण हेतु इस मद में प्रावधान रखा गया है।

मांग संख्या-19

102-अनुरक्षण और मरम्मत

(I) निदेशक स. क. वि. के माध्यम से

0.75 — — 5.70 — — 5.70 — — 3.50 — — 3.50

इस योजना के अन्तर्गत सब डीविजन के स्तर के नीचे के विभागीय भवनों के पुनः निर्माण व मरम्मत के लिए लोक निर्माण के माध्यम से कार्य किया जाता है। आगामी वर्ष 89-90 में शिशु गृह के भवन में अलग रसोई घर, बाउन्ड्रीवाल आदि का कुछ आवश्यक कार्य कराने का प्रस्ताव है।

4235 सामाजिक सुरक्षा पूंजीगत परिव्यय

02-समाज कल्याण

102-बाल कल्याण

1. भवन

— — — — 5.82 — — 5.78 6.25 — 0.50 — — 0.50

103-महिला कल्याण 1. भवन

— 9.81 — — 2.00 — — 2.00 — — — — —

भारत सरकार के केन्द्र प्रवर्तित योजना के अन्तर्गत जयपुर में एक किशोर गृह के भवन का निर्माण राज्य योजना के मद के मैचिंग शेयर के आधार पर किया जाना है जिसमें 100 बच्चों के आवास का प्रावधान है।

इस योजना के अन्तर्गत विभाग के नवीन भवन के निर्माण हेतु पूंजीगत व्यय के लिए प्रावधान रखा गया है। मानसिक एवं विमन्दित महिला गृह के निर्माण हेतु इस शीर्षक से व्यय किया जा रहा है। अधीक्षका महिला सदन जयपुर के आवास निर्माण हेतु वर्ष 88-89 में राज्य सरकार ने 2.25 लाख रुपये की राशि उपलब्ध करायी है।

Int. National Systems Unit
National Institute of Educational
D-5417
13.9.90

NIEPA DC



D05417